न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 488 सन 2018
अनवान :–

1. रोहित कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
2. सुशीला पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. आरजु पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12.11.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 435 के खसरा न0 49/2 की 1.265हैक खसरा न0 96/1 की 1.992 हैक कुल 5.281हैक भूमि स्थित है जो पूर्व में वादी के दादा हसराज पुत्र मनीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई एवं वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 435 की 5.281हैक भूमि आई है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि विरास्तन से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिावदी संख्या 3 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया वाद भूमि पूर्व में उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उसके नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हक हिस्सा है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 435 के खसरा न0 49/2 की 1.265हैक खसरा न0 96/1 की 1.992 हैक कुल 5.281हैक भूमि स्थित है जो पूर्व में वादी के दादा हसराज पुत्र मनीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई एवं वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 435 की 5.281हैक भूमि आई है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि विरास्तन से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A4

जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा एव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पेति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी सख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 435 की कुल 5.281हैक्टे भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया करने हेतू ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

SBajaj
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)